

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों कीधारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्मभाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण :-

- 1 क) आरक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम फारकोट से डुवागाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।
का संक्षिप्त विवरण।
ख) 1:50,000 रेक्सल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के संलग्न है।
वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप
ग) परियोजना की लागत। रु0 8 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :-
2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :- 1.046 हेक्टेक्टर, 1.564 हेक्टेक्टर सिविल, कुल 2.610 हेक्टेक्टर वन भूमि
3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :-
क) परिवारों की संख्या :- शून्य
ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या शून्य
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) शून्य
4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)
5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन बद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाये) संलग्न है।
6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रभाण पत्रों / दरतावेजों का अनुसूची संलग्न है।

तिथि

रसान - थराली

संस्थान अधिकारी
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)

(इ० भूल चंद गुप्ता)
अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)